जनपद - संतकबीरनगर **प्रेस विज्ञप्ति** **दिनॉक 02-11-2022**

आज दिनांक 02.11.2022 को अपर पुलिस महानिदेशक गोरखपुर जोन, गोरखपुर **श्री अखिल कुमार** पुलिस महानिरीक्षक बस्ती परिक्षेत्र, बस्ती **श्री आर0के0 भारद्वाज** के निर्देशन, पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर **श्री सोनम कमार** के मार्गदर्शन में जनपद में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में सन्तकबीरनगर पुलिस द्वारा किये गये सराहनीय कार्य–

दबिश के दौरान 01 वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर **श्री सोनम कुमार** के निर्देशन में जनपद में वांछितों व न्यायालय में हाजिर न होने वाले अभियुक्तों के खिलाफ जारी गैर जमानतीय वारण्ट के तहत फरार चल रहे अभियुक्तों की गिरफ्तारी के क्रम **में थाना धनघटा पुलिस द्वारा** वारण्टी नाम पता वकील पुत्र दोश मोहम्मद निवासी सोनहन थाना धनघटा जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार कर माननीय न्ययालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण- प्रभारी चौकी पौली उ0नि0 श्री धर्मेन्द्र मिश्रा, का0 अमित मद्देशिया।

शान्ति भंग (151/107/116 सीआरपीसी) मे 11 अभियुक्त गिरफ्तार

- **थाना बेलहरकला पुलिस द्वारा** 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 01 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।
- **थाना मेहदावल पुलिस द्वारा** 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 03 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।
- **थाना महुली पुलिस द्वारा** 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 03 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।
- **थाना धर्मसिंहवा पुलिस द्वारा** 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 04 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।

पीआरवी आफ द डे

<u>पीआरवी 1484 द्वारा मार्ग दुर्घटना में घायल व्यक्तियों को पहुंचाया गया अस्पताल -</u> पीआरवी 1484 को थाना धनघटा क्षेत्रान्तर्गत रामजानकी मार्ग से इवेन्ट संख्या 09701 से मार्ग दुर्घटना में 02 व्यक्ति (नाम पता चन्दन पुत्र दयानन्द निवासी डडिया कला, 2 – श्याम विहारी पुत्र लक्ष्मीकान्त निवासी ग्राम पटखौली थाना धनघटा) के घायल होने के संबन्ध में सूचना दिया गया। सूचना मिलते ही पीआरवी कर्मियों द्वारा घटना स्थल पर समय से पहुंचकर मार्ग दुर्घटना में घायल व्यक्तियों को पीआरवी वाहन से प्रा0स्वा0 केन्द्र मलौली भेजवाया गया तथा दुर्घटना के संबन्ध में थाना धनघटा को अवगत कराया गया। पीआरवी कर्मियों द्वारा सतर्कता एवं सूझबूझ से घटना स्थल पर समय से पहुंच कर मार्ग दुर्घटना में घायल व्यक्तियों को अस्पताल भेजवाकर उनकी जान बचाई गयी, जिसकी स्थानीय व्यक्तियों द्वारा सराहनी की गयी।

पीआरवी स्टाफ – मु0आ0 संजय पाल, आरक्षी शनि कुमार गौड़, हो0चा0 रामहित प्रजापति।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 58 वाहनो से 51,000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनांक 02.11.2022 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रो मे बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियो की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 58 वाहनों से 51,000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया।